



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 18 मार्च, 2026 ई०

फाल्गुन 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या 107/XXXVI-A-1/2026-105/2012

देहरादून, 18 मार्च, 2026

प० आ०-08

प्रेषक,

अमित कुमार सिरोही,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु आबद्ध विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तराखण्ड शासन की ओर से आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
1.	श्री के०एस० बोरा	उप महाधिवक्ता (क्रि०)
2.	श्री टी०एस० बिष्ट	उप महाधिवक्ता (सि०)
3.	श्री अनिल डबराल	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
4.	श्री पी०सी० बिष्ट	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
5.	श्री वी०डी० विसेन	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
6.	श्री देवेन्द्र सिंह बोरा	स्थायी अधिवक्ता
7.	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक शासकीय अधिवक्ता
8.	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	सहायक शासकीय अधिवक्ता
9.	श्री जय प्रकाश	ब्रीफ होल्डर (क्रि०)
10.	श्री नवीन तिवारी	ब्रीफ होल्डर (सि०)
11.	सुश्री रजनी सुप्याल	ब्रीफ होल्डर (सि०)

2- कृपया उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आपको आबंटित सभी वादों की सूची न्याय विभाग को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरौही,
प्रमुख सचिव।